भ्रमण आख्या जनपद – बहराइच
दिनाँक 29 एवं 30 अप्रैल 2022

सीएचसी - रिसिया

1. आयरन सुक्रोज को 100 मिलीलीटर के स्थान पर 500 मिलीलीटर NS में दिया जा रहा था।
2. आटोक्लेव काम नहीं कर रहा था इसलिए उपकरणों को sterilized नही किया जा रहा था।
3. Non functional रेडिएंट वार्मर LR में रखा गया है
4. डिस्चार्ज के समय आयरन और कैल्शियम केवल 4 से 5 दिनों के लिए ही दिया जा रहा है।
5. दोनों सीएचसी में डिस्चार्ज के समय डिलीवर मरीज को डेंजर साइन एवं डाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है
6. लेबर रूम में संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था नहीं थी।
7. डॉ अनुराधा मिश्रा एमडी माइक्रोबायोलॉज सीएचसी रिसिया में LMO के पद पर तैनात है जिनको जिला चिकित्सालय में तैनात किया जाना उचित होगा।
8. यूपीएससीएएस काउंसलर व एल.टी. माह जनवरी 2022 से सीएचसी में तैनात है परन्तु प्रशिक्षण के अभाव में उनके द्वारा कोई कार्य नही किया जा रहा।
9. एनआरसी, आयुष्मान और केएमसी वार्ड का स्थान अपर्याप्त है।
10. Documentation और रिकॉर्ड रखरखाव अद्दतन नही थे।
11. किसी भी एमसीपी कार्ड पर आरसीएच नंबर और अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है लैब के परिणाम एमसीपी कार्ड पर लिखे जाने चाहिए
12. आशाएं लाभार्थियों के एमसीपी कार्ड अपने पास रखती हैं एवं लाभार्थियों के फोन नम्बर के स्थान पर आशा का ही फोन नम्बर अंकित है।
13. Post Natal Notes केश शीट एवं एमसीपी कार्ड दोनों में दर्ज नहीं किया जा रहा था।
14. आशाओं को उन्हे मिलने वाली सभी प्रोत्साहन राशियों विशेषकर एचआरपी प्रोत्साहन के बारे में जानकारी नहीं है।

सीएचसी - कैसरगंज

1. प्रति माह लगभग तीन सौ प्रसव के सापेक्ष कुल औसतन छह एलएससीएस किये जा रहे है जो अपर्याप्त है ।
2. नर्स मेण्टर सुश्री सोनी वर्मा उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पिछले छह महीनों से 5000/- माह का Incentives नहीं मिला है।
3. लेबर tables पर mattress और मैकिनटोश नही थे। केली पैड पन्चर पाये गये।
4. Documentation अद्दतन नही थे।
5. प्री एनेस्थेटिक चेकअप नहीं किया जा रहा और बीएचटी पर एनेस्थेटिक्स का कोई signature नहीं है
6. एलआर/ओटी लक्ष्य चेकलिस्ट और केस शीट के सभी रजिस्टर नहीं भरे गए हैं।
7. रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण प्रारूप उपलब्ध है लेकिन जनवरी, 2020 से भरा नहीं गया है
8. डेथ ऑडिट प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल ऑडिट नहीं किया जा रहा है।
9. सभी एमसीपी कार्डों में कुल दो एएनसी जाचों की प्रविष्टियां ही अंकित की गयी थी।
10. विभागीय और साईनेजेस, नागरिक चार्टर उपलब्ध नहीं थे।

11. बीएमडब्ल्यू segregation: रंग कोडित डिब्बे की अपर्याप्त आपूर्ति और स्टॉफ को segregation के बारे में जानकारी नही थी।
12. Blood Storage Unit में चार यूनिट रक्त उपलब्ध था जिसकी Expiry 3/5/8 मई 2022 थी। जनवरी, 2022 के बाद से किसी को transfusion नहीं हुआ था।
13. ड्रग इंडेंटिंग प्रोसेस अप टू मार्क नहीं था।
14. referred cases का फॉलो-अप नहीं किया जा रहा था।
15. फैमिली प्लानिंग हेतु काउन्सलिंग नही की जा रही थी।
16. अंतरा इंजेक्टेबल और पीपीआईयूसीडी का फॉलो-अप नहीं किया जा रहा था।
17. बफर स्टॉक के साथ एक्सपायरी ड्रग रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
18. एमडीआर कमेटी का कोई दस्तावेज नहीं था।

<u>सीएचसी पयागपुर</u>

1. 20 अप्रैल 2022 को विशेषज्ञों (स्त्री रोग एवं निश्चेतक) की नई टीम द्वारा एफआरयू का संचालन शुरू कर दिया गया।
2. एनेस्थेटिस्ट और यूपीएसएसीएस काउंसलर अनुपस्थित थे।
3. बीएमडब्ल्यू Segregation के बारे में किसी भी कर्मचारियों जानकारी नही थी।
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा प्रसव कराये जा रहे थे।
5. ऑक्सीटोसिन अपर्याप्त था।
6. 260 पीसीवी वैक्सीन की संख्या स्टॉक एवं इविन पोर्टल में भिन्न थी (1600/1860)।

11/05/22
DPM-FRU(MK)

11/05/2022
(Consultant QA)